न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नगर (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज थानाधिकारी सीकरी बनाम रामदयाल बगै0 किस्म दावा : 145 सीआरपीसी, मु.सं0 01/2013	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुयें।
07.18	पत्रावली आज प्रस्तुत हुई । थानाधिकारी सीकरी द्वारा इस आशय का इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि दिनांक 03.05.2013 को एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी का मिनजानिव गिर्राज पुत्र रामदयाल जाति माली निवासी रामगढवास (झंझार) थाना सीकरी से वरखिलाफ सूरज बगै0 के खिलाफ थाना सीकरी में प्राप्त हुआ । ख0नं0 1761/0.04, 1762/0.02, 1760/0.05, 1763/0.03, 1764/0.03, 1765/0.03 बाके ग्राम झंझार तह0 नगर में स्थित है जिसके बावत् एक दावा वउनवानी बत्तन बनाम रामदयाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अभी तक साक्ष्य किसी भी पक्ष की ओर से पेश नही हुई है। उक्त नम्बरान बावत् दोनो पक्षों के मध्य वाद विचाराधीन है जिसमें अधिकारों का तय होना है । दोनो पक्ष नवीन निर्माण नही करेंगें । दिनांक 27.04.2013 को सूरज बगै0 जाति माली निवासी रामगढवास झंझार द्वारा बुर्जुगों द्वारा बनायी गयी एक कच्ची ईंटों की तिवारी को जबरदस्ती से तोड दिया । इस तिवारी पर 40 वर्षों से हमारा कब्जा चला आ रहा है । प्रकरण में थानाधिकारी सीकरी ने अपनी जांच में अंकित किया है कि सोमोती बेवा रतनलाल जाति माली निवासी झंझार हाल निवासी खेडी तह0 रामगढ जिला अलवर एवं दिगम्बर पुत्र मनोहर, रामसिंह पुत्र मनोहर, सूरज, रामकिशन पिस0 हुकमचन्द, फूलचन्द पुत्र जालमसिंह, रामोतार पुत्र खैमचन्द जाति माली निवासी रामगढवास झंझार पुलिस थाना सीकरी तथा बत्तन पुत्री मूला जाति माली निवासी झंझार थाना सीकरी हाल आवाद गुर्जरपुर तह0 रामगढ के विरूद्ध धारा 107-116 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा पेश किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी महोदय,	

उपखण्ड अधि... नगर (भरतपुर) ...

नगर के आदेश स्थगन की छाया प्रति प्राप्त की जिसमें उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करने हेतु पाबंद किया गया है थानाधिकारी सीकरी द्वारा उक्त भूमि को लेकर भारी तनाव एवं जनधन हानि होने से इनकार नही किया जाना अंकित करते हुए आराजी को ताफैसला न्यायालय कब्जे राज लेने हेतु निवेदन किया गया ।

इस्तगासा प्राप्त होने पर उभयपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उभयपक्ष की साक्ष्य ली गयी एवं राजसवि लोकअदालत अभियान 2018 में मौके का निरीक्षण किया गया । मुताबिक मौका ख0नं0 1761/0.04, 1762/0.02, 1760/0.05, 1763/0.03, 1764/0.03, 1765/0.03 बाके ग्राम झंझार तह0 नगर किता–6 कुल रकबा 0.20 हैक्टे. भूमिकिस्म डहरी प्रथम पर सोमोती पत्नि गंगाधर व संता, रामा, बत्तन पुत्रियान गंगाधर, मनोहर, बलराम पिस0 गंगाधर वहि0बरा0 1/8 हि0 कौम माली सा.देह गैरखातेदार शेष बदस्तूर व इंतकाल नम्बर 2094 दिनांक 04.05.2012 से बत्तन 1/12 नथिया 1/12, बलजीत बगै0 1/12 हि0 गैरखातेदार से खातेदार स्वीकार हुआ शेष बदस्तूर । इसी तरह से इं0नं0 211 दिनांक 06.04.2011 से मूला 1/4 के स्थान पर बत्तन पुत्री मूला 1/12 हि0सा0देह0 हाल आवाद गुर्जरपुर तह0 रामगढ जिला अलवर, नथिया माता बुधि सा0देह0 हाल आवाद सा0 पीपलखेडा तह0 पहाडी 1/12 हि0 बलजीत, बनैसिंह, मौहरसिंह, सुन्दरसिंह माता पांची सा0देह0 ब0हि0बरा0 1/12 हि0 हाल आवाद गोपालगढ तह0 पहाडी कौम माली गैरखातेदार शेष बदस्तूर व इ0नं0 2118 दिनांक 07.08. 2012 हक त्याग से बत्तन 1/12, नथिया 1/12 बलजीत ~~बगैरा~~ बनैसिंह, मोहरसिंह, सुन्दरसिंह 1/12 दर0हि0 1/4 के स्थान पर हुकमचन्द, फूलचन्द पि0 जालम हि0 2/3, रामअवतार, रतनसिंह पि0 खैमचन्द 1/3 हि0 ब0दर 1/4 हि0 कौम माली सा0देह0 खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड मुताबिक जमाबन्दी ग्राम झंझार सम्वत् 2065–68 के खाता नम्बर 786 पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है । इसी तरह से नक्शा ट्रैश ग्रान झंझार में खसरा नम्बर 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 व 1765 जिनमें से ख0नं0 1761

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नगर (भरतपुर) राज.

व 1760 ग्राम सडक से लगे हुए हैं । सडक व खसरा नम्बरों के बीच में कोई ऐसी जगह नही है जहां पर कोई व्यक्ति अपने अधिकार सहित भवन व अन्य निर्माण कर सके । इस्तगासे में वर्णित पार्टी संख्या–1 रामदयाल पुत्र कल्लू, गिर्राज पुत्र रामदयाल, प्रकाश पुत्र रामदयाल, लालाराम पुत्र सुखदेव, मिश्री उर्फ मिस्सर पुत्र लालाराम जाति माली निवासियान रामगढबवास झंझार । पुलिस थाना सीकरी का कोई प्लाट या भूमि नही है जो भूमि है वह सडक व पार्टी संख्या–2 में वर्णित हुकमचन्द पुत्र जालम जाति माली निवासी रामगढबास झंझार की खातेदारी भूमि है ।

अतः थानाधिकारी सीकरी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल सुमार होकर प्रविष्ठि भंडार हो ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नगर (भरतपुर) राज०